

**कार्यालय**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

लखनऊ दिनांक: 12-09-2023

**:-कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से ख्याति डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान करने के द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गए निर्णय के क्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद (U) पर लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित पठेशा संसदा हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम: 1946-H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY

ए0आई0सी0टी0ई0। पी0सी0आई0 द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2023-

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदन प्रवेश	24 हेतु अनुमोदन प्रवेश
		समता	समता
i	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 3111/18-3600/9/2022 डा0सी0-1 दिनांक 18-06-2023 द्वारा पूर्व से ख्याति सम्पन्न संस्थाओं को लिये गये विस्तार सामंजस्य न्यायालय में योजित हित याचिका संख्या 5027/2023 में सामंजस्य न्यायालय के भविष्य निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्धारण की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मातृक के मसूमे संस्थान में स्वयं संसाधन (जैसे: समय, लोक संसाधन) आवेदन प्रस्ताव है।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद संख्या 1382 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1382 विनियमवली-2000, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा सम्बन्धित अन्य निर्धारित शर्तों का पालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्री से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के प्रतिफल का छात्र/छात्री को शुल्क के संबंध में सम्बन्धित भंडारण द्वारा निर्धारित किया जाये, पहले संसाधन प्रस्तावों द्वारा और तदनुसार का किया ही किया



प्रतिज्ञा:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY



(अजय कुमार मिश्र)

सचिव

**कार्यालय,****सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,****उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**:-कार्यालय न्याप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दी पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1946-H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वषीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वषीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वषीय पाठ्यक्रमों (दो वषीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा

दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(एफ0आर0 खान)

सचिव

पृ0सं0- पाशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY

(एफ0आर0 खान)

सचिव



**कार्यालय**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक 09/08/2021

**कार्यालय नाम:-**

संश्लेषण आरक्षण नवनामों शिक्षा परिषद नई दिल्ली/कार्यवाही काउन्सिल ऑफ इंडियन नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु विज्ञापित करीब सत्रांशिक शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ में सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं का सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम परेश सम्मना वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करने हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में शैक्षणिक विभाग के कार्यक्रम में विभिन्न संस्थाओं प्राविधिक शिक्षा परिषद 30 प्रो.लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों को अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम . 1946-H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY, TEHRA, KEHRAGARH AGRA.**

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा तिथिस्थित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 सेमेस्टर विनियमवाली 2018 तथा अन्य निर्दिष्ट विनियमों एवं आदेशों को अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा तिथिस्थित शुल्क नीति वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30\*50 00/- प्रतिवर्ष, द्वा वर्षीय कांसरी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000 00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500 00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्री से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संव्यवस्था में समग्र संस्था पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जावे वाले वास्तविक प्रभावी होंगे और अनुसूचित वर्ग/वार्डों की छात्राओं को आवश्यक हवा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है तो फीस की स्वीकृति पूर्व प्राप्त होगी।
- ✓ संस्था को उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने विनियमवाली 2000

की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संसदीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित अर्शों को ही प्रवेश दिया जायेगा। अर्शों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निम्न शासनादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आइ०सी०टी०डी०पी०सी०आई०ए० आराम से सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- ✓ साक्षात् उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनारस नगरी विधिविधियों/अधिनियमों/शासनदृशो/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा उ०प० संयुक्त पत्रिका परीक्षा परिषद, उ०प० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद उ०प० द्वारा बनाये गये नियमों विनियमों आदेशों निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ दिल्लीका इन फार्मों मातृयुक्तम की साक्षात् राष्ट्र कोठी आई नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त पत्रिका परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बाध द्वारा किया जाता है तथा इसका बाध के संबंध में ना न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिभूति संबंधित संस्था की करनी होगी।
- ✓ विद्यमान इन फार्मों मातृयुक्तम समाहित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त पत्रिका परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संयुक्त द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराता होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से जहाँ संस्था उत्तर पर सीधे प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की नमस्त, सूचनाएं जैसे संस्था की एनिवर्सिरी पृष्ठ भूमि, छात्र जीवनसंस्था इत्यादि का पालन किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परीक्षण हेतु उपयुक्त सुनाहरण उपलब्ध कराने का साथ-साथ संकाय के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगी।
- ✓ साक्षात् यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/समाहित मातृयुक्तम को बनाये जाने हेतु निरीक्षण समिति को समस्त उपलब्ध कराए गए अभिलेख, भूमि-सूचना, प्लान, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य मातृयुक्तम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त मातृयुक्तम में प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो उत्तम संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के मध्यम निरीक्षण दौरान यदि संस्था से भूमि भवन पर्याप्तता, उपकरण एवं अन्य मातृयुक्तम ए०आइ०सी०टी०डी०पी०सी०आई०ए० परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किए जाने भयंकर क्षति का उत्तरदायित्व संस्था को ही होगा जो स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

लघिव

पू०स०- प्राशिप/परिषद् सम्बद्धता/२०२१/३६३८-४८०९

दिनांक- ०९/०८/२०२१

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य निदेशक H.I.T.M. COLLEGE OF PHARMACY, TEHRA, KEHRAGARH AGRA.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव